भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2536
दिनांक 11 अगस्त 2025

गैस वितरण में डिजिटल निगरानी और मूल्य निर्धारण

2536 **श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का वर्तमान प्रतिशत कितना है और 2030 तक 15 प्रतिशत के लक्ष्य की दिशा में क्या प्रगति हुई है;
(ख) राष्ट्रीय गैस वितरण के लिए राज्य-वार कितने स्मार्ट मीटर और डिजिटल निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं; और
(ग) गैस की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 7.0% (अनंतिम) थी। इसके अलावा, ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, संपीडित प्राकृतिक गैस (परिवहन)/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू), सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस का आवंटन, उच्च दाब/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और अत्यंत-गहरे पानी तथा कोयला क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए अधिकतम मूल्य के साथ विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता, संपीडित जैव गैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएटीएटी) पहल आदि शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय गैस वितरण के लिए स्थापित स्मार्ट मीटरों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की संख्या से संबंधित आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। हालाँकि, प्राधिकृत कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर

ऐसी प्रणालियों को लागू करती हैं। उदाहरण के लिए, सटीक मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख गैस पाइपलाइन ऑपरेटर अल्ट्रासोनिक मीटर, टर्बाइन मीटर और रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर जैसी उन्नत माप प्रणालियाँ स्थापित करते हैं। ये डिजिटल फ्लो कंप्यूटर और गैस क्रोमैटोग्राफ के साथ एकीकृत होते हैं। ये सभी मीटरिंग घटक केंद्रीकृत एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली के साथ एकीकृत होते हैं, जिससे वास्तविक समय की डिजिटल निगरानी, कुशल पाइपलाइन हाइड्रोलिक्स प्रबंधन और स्वचालित इनवॉइसिंग संभव होती है।

(ग) उपभोक्ताओं को (सीजीडी के पीएनजी(डी) खंड में) प्रतिस्पर्धी गैस मूल्य उपलब्ध कराने के प्रयास के साथ, सरकार प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस आवंटित कर रही है, जिसका मूल्य ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए दिनांक 07.04.2023 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जहां उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी) मूल्यों के लिए सरकारी अनुमोदन प्रदान करता है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, ऐसी प्राकृतिक गैस के मूल्य भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत के 10% के रूप में निर्धारित की जाती है और मासिक आधार पर अधिसूचित की जाती है। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा अपने नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए, एपीएम मूल्य $4.0/मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) की न्यूनतम और $6.5/एमएमबीटीयू की अधिकतम सीमा के अधीन है। यह सीमा अगले दो वित्तीय वर्षों (वर्ष 2023-24 और 2024-25) तक बनी रहेगी और फिर हर साल 0.25 डॉलर/एमएमबीटीयू की दर से बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 07.04.2023 की अधिसूचना के माध्यम से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए कूपों और उनके नामांकित क्षेत्रों से कूपों के संबंधित उपायों से उत्पादित गैस पर प्रशासित मूल्य व्यवस्था की कीमतों पर 20% का प्रीमियम भी दिया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता आई है।

*****